

C.P. 13
10.4.12

In the High Court of Judicature at Patna.

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C.No. _____ of 2012.

Ram Bahadur Kumar Petitioner.

Versus

The State of Bihar and others..... Respondents.

Subject:- E.C.ACT.

INDEX.

Sl.No.	Particulars.	Pages.
1.	Synopsis.	1 to 11
2.	Petition under Article 226 of the Constitution of India.	1 to 13
3.	Annexure-1: A true copy of order dated 3.5.2010.	14
4.	Annexure-2: A true copy of order dated 29.11.2010 passed in C.W.J.C. No.16968 of 2010.	15 - 16
5.	Annexure-3: A true copy of Receipt dated 30.11.2010.	17
6.	Annexure-4: A true copy of order dated 10.10.2011.	18 - 19
7.	Annexure-5: A true copy of the order dated 3.3.2012.	20
8.	Vakalatnama of the petitioner.	

In the High Court of Judicature at Patna.

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C.No._____of 2012.

Ram Bahadur kumarPetitioner.

Versus

The State of Bihar and others.....Respondents.

-: SYNOPSIS :-

This is an application for quashing of order dated 3.3.2012 passed by Collector, Madhepura in confiscation Appeal No.5 of 2010 by which petition for payment of amount Rs.47,120.00 in connection with confiscation Case No.5 of 2010 has been rejected and for direction to Respondents to make payment of Rs.47,120.00.

2001
PARA-3

Petitioner was granted licence No.7/2001 for running fair price shop.

25.2.2009
PARA-5

F.I.A.bearing Singheshwar R.L.No.14/2009 was registered U/S 7 P.C.Act against petitioner.

25.2.2009
PARA-6

18.50 quintal wheat, 8.50 quintal rice and 2889 litre K.Oil was seized.

9.3.2009
PARA-7

Licence of petitioner of fair price shop has been suspended.

(11)

23.4.2010
PARA-8 Petitioner was acquitted from the allegation of black
marketing i.e.7.F.C.Act.

3.5.2010
PARA-9
Ann-1 Seized article of thepetitioner has been confiscated
by Collector.

29.11.2010
Ann-2
PARA-10 Hon'ble Court has been pleased to quash the order of
suspension of licence and directed to revoke the suspension
of licence.

30.11.2010
Ann-3
PARA-11 Amount Rs.47,120.00 against seized articles has been
deposited in Nazarat.

10.10.2011
Ann-4
PARA-12 Suspension of licence of fair price shop of petitioner
has been revoked.

PARA-13 Petitioner filed confiscation appeal 10.6/2010 before
Collector, Madhepura for payment of Rs.47,120.00

3.3.2012
Ann-5
PARA-14 Petitioner's claim for release of Rs.47,120.00 has
been rejected.

PARA-16 Petitioner was not found in black marketing.

PARA-17 Not a single dealer villager, consumer complained against
petitioner.

Hence this writ application.

-11-

In the High Court of Judicature at Patna.

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C.No. _____ of 2012.

In the matter of an
application under Article
226 of the Constitution of
India.

And

In the matter of :-

Ran Bahadur Kumar Son of Late Rajendra Yadav,
Resident of Village-Rupauli Larha, Police Station-
Sincheshwar, District-Madhepura.

..... Petitioner.

Versus

1. The State of Bihar.

2. The Collector, Cum-District Magistrate, Madhepura.
3. The Sub Divisional Officer, Madhepura.
4. The District Supply Officer, Madhepura.
5. The Block Supply Officer, Singheshwar,
District- Madhepura.

..... Respondents.

To,

The Hon'ble Ms. Justice Rakha M. Doshit,
the Chief Justice of the High Court of
Judicature at Patna and her Companion
Justices of the said Hon'ble Court.

The humble petition on
behalf of the petitioner
abovenamed;

Most Respectfully Sheweth :-

1. That this is an application for
quashing of order dated 3.3.2012 passed by learned

Collector, Madhepura in Confiscation Appeal No.5 of 2010 whereby the petitioners filed by the petitioner for make payment of amount Rs.47,120.00 deposited in the Nazarat of Sub Divisional Officer, Madhepura in connection with confiscation Case No.5 of 2010 against the confiscated goods of fair price shop of the petitioner and for issuance of an appropriate in the nature of Mandamus direction to Respondents to make payment of Rs.47,120.00 alongwith 18% interest for delayed payment deposited in the Nazarat of sub Divisional Officer, Madhepura in connection with Confiscation No. 5 of 2010 against Confiscated goods of fair Price shop of the petitioner and any other appropriate writ, order, direction save and except in accordance with law.

2. That the petitioner is the citizen of India and lives within the territorial jurisdiction

of this Hon'ble Court.

3. That the petitioner was granted licence No. 7 of 2001 for running fair price shop at Gram Panchayat Rupauli, Block Singheshwar, District-Madhepura.

4. That the petitioner has been running his fair price shop since 2001 regularly and continuously and there was no complain against him.

5. That all of a sudden a First Information Report bearing Singheshwar Police Station Case No.14 of 2009 was registered on 25.2.2009 under Section 7 E.C.Act against petitioner levelling allegation that there was shortage of wheat, rice and K.Oil in the Fair Price shop and petitioner has done black marketing of the same.

6. That on the same day on 25.2.2009 the Block Supply Officer, Singheshwar, District-Madhepura

seized 18.50 Quintal wheat, 8.50 Quintal rice and 2889 Litre K.Oil from the fair Price Shop of the petitioner which were kept in the shop for distribution to its consumer.

7. That vide Order dated 9.3.2009 the licence of the petitioner of Fair Price shop has been suspended by the Sub Divisional Officer, Madhepura.

8. That vide Judgement dated 23.4.2010 the learned Sub Divisional Judicial Magistrate, Madhepura has been pleased to acquit the petitioner during trial.

9. That vide order dated 3.5.2010 the Collector, Madhepura has confiscated the aforesaid seized article i.e. 18.50 quintal wheat, 8.50 quintal rice and 2889 Litre K.Oil and directed the Sub Divisional Officer, Madhepura to deposit the amount of the goods in the Nazarat.

A true copy of order
dated 3.5.2010 is annexed
herewith and marked as
Annexure-'1' to this
application.

10. That the petitioner filed C.W.J.C.
No.16868 of 2010 before Hon'ble High Court for
revocation of suspension of licence and in that case
Hon'ble High Court vide order dated 29.11.2010 held
that if there be no other ground for suspension of the
licence except for the criminal case, the suspension
clearly becomes honest in view of the acquittal in
the criminal case and directed the Respondents to
resume supplies to the petitioner unless his licence
has been suspended and/or cancelled in accordance
with law on any other ground forthwith.

A true copy of order
dated 29.11.2010 passed in

C.W.J.C.No.16868 of 2010

is annexed herewith and marked as Annexure-'2' to this application.

11. That on 30.11.2010 the amount Rs.47,120/- against seized articles has been deposited in the Nazarat.

A true copy of Receipt dated 30.11.2010 is annexed herewith and marked as Annexure-'3' to this application.

12. That vide order dated 10.10.2011 the suspension of the licence of the petitioner has been revoked by Sub Divisional Officer, Madhepura.

A true copy of order dated 10.10.2011 is annexed

herewith and marked as
Annexure-'4' to this appli-
cation.

13. That the petitioner filed Confiscation
Appeal Case No.5 of 2010 before District Magistrate,
Madhepura requesting to make payment of amount Rs.
47,120.00 deposited in the Nazarat against confiscated
goods of fair price shop of the petitioner.

14. That vide order dated 3.3.2012 the
Collector, Madhepura rejected the petition filed by
the petitioner.

A true copy of the order
dated 3.3.2012 is annexed
herewith and marked as
Annexure-'5' to this appli-
-cation.

15. That aforesaid impugned order has been passed in most arbitrary and mala fide manner without considering the case of the petitioner.
16. That Respondent authority has illegally seized the goods of the petitioner since petitioner was not found in Black marketing.
17. That not a single dealers, villagers, consumers levelled allegation of black marketing against the petitioner.
18. That learned Trial Court has found the charges of black marketing false against the petitioner during the trial and in evidence and vide Judgment dated 23.4.2010 acquitted the petitioner.
19. That the learned Collector has not considered the case of acquittal of the petitioner

from the charges of black marketing and rejected the petitioner in most arbitrary manner.

20. That Hon'ble High Court considered the case of acquittal of the petitioner from charges of black marketing and vide order dated 29.11.2010 revoked the suspension of licence but learned Collector has not considered this fact and passed impugned order.

21. That the goods of the petitioner has been seized on the allegation of shortage and black marketing but the learned Trial Court has not found such allegation true and acquitted the petitioner from the charges.

22. That the several judgement has been pronounced by the Hon'ble Apex Court and Hon'ble High Court that if acquittal was done, then the goods will not be continued in confiscation but learned Collector

has not considered and passed impugned order.

23. That impugned order passed by the
the Collector is arbitrary, mala fide, misleading, mali-
cious, unconstitutional.

24. That the petitioner has no any other
alternative and efficacious remedy other than by
way of this application.

25. That the petitioner has not moved
earlier before Hon'ble High Court for the reliefs
as prayed in Para-1 to this application.

It is, therefore, prayed that
your Lordships may graciously be
pleased to admit this application,
issue Rule NISI, calling upon the
Respondents and after hearing the
parties be pleased to allow this

-12-

application and grant reliefs
as prayed in Para-1 to this appli-
cation.

And/Or

Pass such other order or orders as
your Lordships may deem fit and
proper.

And for this, the petitioner shall ever pray.

AFFIDAVIT.

I, Ram Bahadur Kumar, aged about 40 years, Son of Late Rajendra Yadav, Resident of Village - Supauli Barha, Police Station - Sincheshwar, District - Madhepura, do hereby solemnly affirm and state as follows:-

1. That I am petitioner in this case and as such am well acquainted with the facts and circumstances of the case.
2. That the contents of this petition have been read over and explained to me in Hindi which I have fully understood the same and the statements of facts made in Paragraph Nos. 2 to 4, 7, 10 and 12 to 23 are true to my knowledge and those made in Paragraph Nos. 5, 6, 8, 9 and 11 are based upon informations derived from the records of the case which I believe to be true and the rest are by way of submissions to this Hon'ble Court.
3. That the Annexures are true/photostat copies of their respective originals.

Amis...-1

16

न्यायालय समाहर्ता, मधेपुरा

सूची १४ क्रमांक सं०-५६२

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्ताक्ष, १९४१ का नियम १२९)

देश पत्रक- ता० से तक

सं० सन्

का प्रकार न.ग.क.प.क.स. ११६.००-०५/२०१०

देश की क्रम और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ
----------------------	--------------------------------	--

13/2010
02-2010

जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा के पत्रांक- 54-2, दिनांक- 04.03.09 से सिंहेश्वर थाना कांड सं०- 14/09, दिनांक 25.02.09 में दर्ज श्री रामबहादुर कुमार, जन वितरण प्रणाली, विक्रेता, पंचायत- रुपौली, के जप्त खाद्यान्न गेहूँ एवं चावल एवं किरासन तेल के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा- 6 ए के अन्तर्गत अधिग्रहण का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। देखा।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता, मधेपुरा को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख में संलग्न कागजात/प्रतिवेदन इत्यादि के अवलोकन एवं उक्त विचारोपरान्त आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं धीरेन्द्र प्रसाद थापा, समाहर्ता, मधेपुरा सिंहेश्वर थाना कांड सं०- 14/09 में सन्निहित खाद्यान्न 18.50 क्वी० गेहूँ एवं 8.50 क्वी० चावल एवं 2889 लीटर किरासन तेल को अधिग्रहित करने का आदेश देता हूँ। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सिंहेश्वर को आदेश दिया जाता है कि अविलम्ब उक्त खाद्यान्न 18 50 क्वी० गेहूँ एवं 8.50 क्वी० चावल एवं 2889 लीटर किरासन तेल को संबंधित थानाध्यक्ष से विधिवत प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे तदोपरान्त अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा से आदेश प्राप्त कर उक्त सम्पूर्ण खाद्यान्न को निरमानुसार उपयोग सुनिश्चित करने की कार्रवाई करेंगे तथा विक्रेता को चालान द्वारा सशुल्क मात्र के तहत वसूल किया जायेगा। इस आदेश की सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

लेखापित एवं शुद्धिकृत
समाहर्ता, मधेपुरा।

समाहर्ता,
मधेपुरा।

अनेक सचर-)

स्वायत्त समाहर्ता, मधुपुरा
आदेश पत्रक

(देही अधिलेखन कक्षा, 194 का नियम 129)

आदेश पत्रक ता०----- से----- तक
जिला----- सं०----- सन
कैस का प्रकार- कर्नलकेशन वाद सं० 05/ 2010

आदेश की क्रम आदेश और पदाधिकारी का आदेश परकी गई कारवाई के बारे
सं०ओरता० हस्ताक्षर- में टिप्पणी तारीखके साथ
1 2 3
29-3-2010- जिला आपूर्ति पदाधिकारी मधुपुराके पत्रिक- 54-2, दिनांक
3-5-10-

4-3-09 से सिंहर थानाकाठ सं० 14/09 दिनांक 25-2-09 में
दश श्री रामबहादुर कुमार जन वितरण प्रणाली विक्रेता फव्वत स्मोली के
जप्त जाधान गेहूँ एवं चावल एवं किरासन तेल के विरुद्ध आवश्यक वस्तु
अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत अधिग्रहण का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।
देखा।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता मधुपुरा को सुना एवं अधिलेखन का
अवलोकन किया। अधिलेखन में संलग्न कागजात/ प्रतिवेदन हस्ताक्षरके अवलोकन
एवं समक विचारोपरान्त आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत विहित शर्तितयों
का प्रयोग करते हुए मैं बीरेन्द्र प्रसाद पादय समाहर्ता मधुपुरा सिंहर थाना
काठ सं० 14/09 में सम्मिलित जाधान 18-50 बबी० गेहूँ एवं 8-50 बबी०

चावल एवं 2889 लीटर किरासन तेल को अधिग्रहित करने का आदेश देता हूँ। प्रकृत अधिग्रहीत पदाधिकारी सिद्धेश्वर को आदेश दिनांश 18-11-2018 के अतिरिक्त उक्त आदेशानुसार 18-50 क्वी० गैरू एवं 8-50 क्वी० चावल एवं 2889 लीटर किरासन तेल को संबंधित धानाधकार से विधिवत प्राप्त करना सुनिश्चित करेगा। तदनुसार अनुमंडल पदाधिकारी मधोपुरा से आदेश प्राप्त कर उक्त सम्पूर्ण आदेशानुसार निपमानुसार उपयोग सुनिश्चित करने की कारवाही करेगा तथा विहित शर्तों में चलान द्वारा राशि जमा कर एक पक्ष के अन्दर अ अनुपालन प्रतिवेदन देगा। इस आदेश की सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

वैभाषित एवं शुरुधिवृत्त
 स/० अफट
 समाहर्ता, मधोपुरा।

समाहर्ता
 मधोपुरा

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
CWJC No.16868 of 2010
RAM BHADUR KUMAR
Versus
THE STATE OF BIHAR & ORS.

2/ 29/11/2010

Heard learned counsel for the petitioner and learned counsel for the State.

It is submitted that Singhpur P.S. Case No.14/09 was lodged against the petitioner for alleged violation of the conditions provided under Section-7 of the Essential Commodities Act on suspicion of alleged black-marketing etc. violating the conditions of the licence. This led to the suspension of his of his licence on 9.3.2009. By judgement and order dated 23.4.2010 of the Hon'ble District Judge, Madhepura he has been acquitted. Notwithstanding his representation dated 0.5.2010, his licence continues under suspension.

No counter affidavit has been filed by the respondents. If there be no other ground for suspension of the licence except for the criminal case, the suspension clearly becomes non est in view of the acquittal in the criminal case.

The respondents are directed to resume supplies to the petitioner unless his licence has been suspended and/or cancelled in accordance with law on

EE922LW 9868
11-2010
Bihar
STAMP DUTY
0000
00000
372103
INDIA
DEPARTMENT OF POST
BHAR CIRCLE
COURT FEE
10TH NO. 3185 DT. 16/12/2008

CORRECT COPY

6969h

any other ground forthwith.

The writ stands allowed.

KC

Sd/- Navin Sinha, J.)

COPYING WRIT

PHOTO COPY
Raj Kumar Singh
High Court
of Madhya Pradesh
Bhopal

7.12.2010
7245132

Annexure-2

In the High Court of Judicature at Patna.

C.W.J.C.No.16868 of 2010.

Ran Bahadur Kumar

Versus

The State of Bihar & Ors.

2/ 29.11.2010 Heard learned Counsel for thepetitioner and
learned counsel for the State.

It is submitted that Sircheshwar D.S.Case No.14/
09 was lodged against the petitioner for alleged violation
of the conductions provided under Section-7 of the
Essential Commodities Act on suspicion of alleged black-
marketing ofviolating the conditions of the Licence.
This led to the suspension of his of his licence on
9.3.2009. By Judgement and order dated 23.4.2010 of
the Sub-Divisional Judicial Magistrate, Madhepura he
has been acquitted. Notwithstanding his representation
dated 10.5.2010 his licence continues under suspension.

No counter Affidavit has been filed by the

Respondents. If there be no other ground for suspension of the Licence except for the criminal case, the suspension clearly becomes non est in view of the acquittal in the criminal case.

The respondents are directed to resume supplies to the petitioner unless his licence has been suspended and/or cancelled in accordance with law on any other ground forthwith.

The writ stands allowed.

Sd/- (Navin Sinha, J)

अथैवसचर-3
.....

जिल्द संख्या 475 वर्ग 10-11

किससे प्राप्त हुआ प्रकांड आपूर्ति पदाधिकारी सिस्वर

किस मद सिस्वर धानाकांड संख्या 14/ 09 दिनांक 25-2-09

में अधीनस्थ जाधान्न किरासन तैत रकम बस्कु वसुल राशि

नकद 47120-00

स्टाम्प के समे

.....
कुल 47120-00

मौ० सेतालीस हजार स्वसो बीस समे) मात्र

प्राप्त करने वाला पदाधिकारी

तारीख 30-11-2010

ह०/- अस्पष्ट

Himachal Pradesh

15

जिला न्यायालय, मधेपुरा

§ आधुनिक शाखा §

आदेश

=====

सी० डब्लू० जे० सी० नं०-16868/10 श्री राम बहादुर कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.11.10 के अनुपालन हेतु श्री राम बहादुर कुमार, निर्लंबित सार्वजनिक वितरण प्रणाली विक्रेता, पंचायत स्तरीय प्रखंड सिंहेश्वर से संबंधित संचिका को इस कार्यालय के पत्रांक 498-2/सपत्र दिनांक 18.12.10 द्वारा जिला स्तरीय वयत्र समिति के विचारार्थ भेजा गया। उक्त वाद के पारित आदेश के अनुपालन के लिए श्री कुमार निर्लंबित सार्वजनिक वितरण प्रणाली विक्रेता की अनुज्ञप्ति को निलम्बन से मुक्त करने के एवं आवंटन वास्तु करने के संबंध में जिला न्यायाधिकारी, मधेपुरा के पत्रांक 54/आ० दिनांक 27.01.11 से प्राप्त निदेश के आलोक में विक्रेता श्री कुमार से आवश्यक कागजात अर्थात् अनुज्ञाप पत्र, मापतोल की अनुज्ञप्ति, दुकान से संबंधित अन्य कागजात एवं कृत विन्दुओं पर शपथ पत्र की माँग इस कार्यालय के ज्ञापन सं 56-2 दिनांक 01.02.11 द्वारा किया गया। जिसके आलोक में विक्रेता श्री कुमार दिनांक 09.02.11 को स्वयं अलोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर अपना उक्त सभी कागजात प्रस्तुत किया। विक्रेता श्री कुमार का अनुज्ञाप पत्र दिनांक 31.12.11 तक श्रेष्ठ नवीकृत है एवं माप तोल की अनुज्ञप्ति सं०-2568/10 माह अक्टूबर-11 तक के लिए नवीकृत है, जिसपर वाट/बल्यूड एवं लीटर से संबंधित मापक का सत्यापन निरीक्षक माप तोल मधेपुरा द्वारा किया हुआ अंकित है।

उपरोक्त वर्णित परिस्थिति में सी० डब्लू० जे० सी० नं०-16868/10 में माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.11.10 के अनुपालन हेतु जिला न्यायाधिकारी, मधेपुरा के पत्रांक 54/आ० दिनांक 27.01.11 के आलोक में श्री राम बहादुर कुमार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली विक्रेता पंचायत स्तरीय प्रखंड सिंहेश्वर की निर्लंबित अनुज्ञप्ति सं०-221/07 को तात्कालिक प्रभाव से निलम्बन से मुक्त किया जाता है।

प्रखंड आधुनिक पदाधिकारी, सिंहेश्वर को आदेश दिया जाता है कि वे श्री राम बहादुर कुमार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली विक्रेता, पंचायत स्तरीय प्रखंड सिंहेश्वर को सभी आवश्यक सामग्रियों का उपावृत्तन श्रु पूर्व की शर्तों नियमानुसार निम्न शर्तों के साथ प्रारंभ करें।

शर्तः:-

1. श्रवण में आवश्यक सामग्रियों की कालाबाजारी की गई तो हंगामा-हंगामा के लिए काली सूची में नाम दर्ज कर उनकी अनुज्ञप्ति को निर्लंबित/रद्द कर दिया जायेगा।
2. सतत सभी योजनाओं का डाकू लागू करने का इच्छा लगायें एवं निर्मादेश प्राप्त करें तथा डाकू का उठाव कर निर्धारित एवं मात्रा में वितरण करें।

अ नै व स च र-५
.....

अनुमंडल कार्यालय, मधोपुरा

(आपूर्ति शाखा)

आ दे श
.....

सी० डब्लू० जे०सी० नं० 16868/10 श्री राम बहादुर कुमार बनाम राज्य सरकार

एवंअन्य में माननीय उच्च न्यायालयपटना द्वारा पारित आदेशदिनांक 29-11-2010 के अनुपालन हेतु श्री राम बहादुर कुमार निम्नलिखित सार्वजनिक वितरण प्रणाली विक्रेता पंचायत झौली प्रजाड सिटेश्वर से संबंधित संचिका को इस कार्यालयके पत्रांक 489-2/ सत्र दिनांक 18-12-10 द्वारा जिलास्तरसे वपन समिति के विचारार्थ भेजा गया। उक्त वाद के पारित आदेशके अनुपालन के लिए श्री कुमार निम्नलिखित सार्वजनिक वितरणप्रणाली विक्रेता की अनुज्ञप्ति को निलम्बन से मुक्त करने एवं आवेटनवाचु करने से संबंधमें जिला पदाधिकारी मधोपुरा के पत्रांक 54/आ० दिनांक 27-10-11 से प्राप्त निदेश के आलोक में विक्रेता श्री कुमार सेआवश्यक कागजात अर्थात् अनुज्ञापन पत्र मापतोल की अनुज्ञप्ति दुकान से संबंधित अन्य कागजात एवं कुछ बिन्दुओं पर शपथ पत्र की मांग इस कार्यालय के ज्ञापक 56-2 दिनांक 1-2-11 द्वारा कियागया। जिसके आलोक में विक्रेता श्री कुमार दिनांक 9-2-11 को स्वयं अधीरुताकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपना उक्त सभी कागजात प्रस्तुत किया। विक्रेता श्री कुमारका अनुज्ञापन पत्र दिनांक 31-12-11 तक नवकृत है एवं माप तोल की अनुज्ञप्ति संख्या 2568/ 10 माह अक्टूबर 11 तक के लिए नवीकृत है जिस पर बाट/ बटवाडा एवं लखिर से संबंधित मापक का सत्पापन निरीक्षक माप तोल

मधोपुरा द्वारा किया हुआ अंकित है।

उपरोक्त वर्णित परिस्थिति में सी० डब्लू० जे० सी० नं० 16868/10 में माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा पारित आदेश दिनांक 29-11-10 के अनुपालन हेतु जिला पदाधिकारी मधोपुरा के पत्रांक 54/आ० दिनांक 27-1-11 के आलोक में श्री राम बहादुर कुमार सार्वजनिक वितरण प्रणाली विज्ञेता पंचापत छोली प्रडाँड सिद्देश्वर की निम्नलिखित अनुज्ञप्ति संख्या 221/07 को तात्कालिक प्रभाव से निस्तम्बन से मुक्त किया जाता है।

प्रडाँड आपूर्ति पदाधिकारी सिद्देश्वर को आदेश दिया जाता है कि श्री राम बहादुर कुमार सार्वजनिक वितरण प्रणाली विज्ञेता पंचापत छोली प्रडाँड सिद्देश्वर को सभी आवश्यक सामग्रियों का उपार्धटन पूर्व की भाँति नियमानुसार निम्न शर्तों के साथ प्रारंभ करे।

शर्तें-

- 1- भाँडिपमें आवश्यक सामग्रियों की कालाबाजारी की गई तो हमेशा हमेशा के लिए काली कुची में नाम दर्ज कर उसी अनुज्ञप्ति को निम्नलिखित/ रद्दकर दिया जायेगा।
- (2) ससमय सभी योजनाओं के आधात्मन का डाँपट लगाये गे एवं निर्गमादेश प्राप्त करेगे तथा आधात्मन का उठाव कर निष्कारित एवं मात्रा में सितरण करेगे।
- (3) ससमय दुकान ओलेगे।

3-

- (4) नाम तोल की अनुज्ञप्ति को समय स्वीकृत करायेगे एवं चाटो का समय निरूपण करेगा।
- (5) विक्रेता दुकानको निर्धारित समय अस्पष्ट करने तथा अनुज्ञप्ति शर्तों का अवधारण अनुपालन करेगा।

ह/० अस्पष्ट
अनुमंडल पदाधिकारी
मधोपुरा।

आपीक-78-2/ अफ 10 दिनांक 10-2-11

प्रतिलिपि । श्री राम बहादुर कुमार सार्वजनिक वितरण प्रणाली विक्रेता पंचायत

रूपोली प्रखण्ड सिस्वरको सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ। प्रेषित।

प्रतिलिपि- प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी सिस्वरको सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- जिला प्रबंधक राज्य आर० नि० मधोपुरा/ सहायक गोदाम प्रबंधक रा०

राज्य आर० नि० मधोपुरा / मेसर्स शिवशिवित एच० सी लोकराठी

विक्रिसन सेल विक्रेता सिस्वरको सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाय

हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- जिला आपूर्ति पदाधिकारी मधोपुराको सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- जिला पदाधिकारी मधोपुराको सादर सूचनार्थ अ समर्पित।

ह/० अस्पष्ट
अनुमंडल पदाधिकारी
मधोपुरा।

Ammerme-5

20

न्यायालय समाहर्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, मधेपुरा

कनफिसकेशन अपील वाद सं०-०५/२०१० राज्य बनाम राम बहादुर कुमार

+++++

--: आदेश :-

03-2012

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद और अभिलेखों की जाँच करने के बाद मैं यह निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि आवेदक के खासान्त में, जहाँ तथा किरासत तेल का अधिग्रहण आवश्यक वस्तु अधिनियम के धारा-६ए के अन्तर्गत ०३-०५-२०१० को हुआ था। आवेदक को अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा २३-०४-२०१० दोषमुक्त किया गया।

जिलाधिकारी द्वारा अधिग्रहण एक प्रक्रिया है तथा उसका न्यायिक दंडाधिकारी के आदेश से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आवेदक को न्यायिक दंडाधिकारी को दोषमुक्त किया गया है तो यह अभियोजन पक्ष की असफलता को दर्शाता है। आवेदक के विरुद्ध कालाबाजारी के मामले में सबूत पाए गए हैं। अतः आवेदक के आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

ह०/-

समाहर्ता, मधेपुरा।

क्र. 221 विधि, मधेपुरा, दिनांक 3/3/12

पि : निदेशानुसार वादी श्री राम बहादुर कुमार थे० स्व० राजेन्द्र यादव, सा० रुपौली लइहा, थागा सिंहेश्वर, जिला मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

पि : निदेशानुसार अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/ जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



Ue
प्रभारी पदाधिकारी,
विधि, मधेपुरा।
3/3/12

अ नै व स च २-५
.....

न्यायालय समाहर्ता एवं जिला दंडाधिकारी, मधोपुरा

कनिष्केशन अपील बाद सं०- 05/2010 राज्य बनाम राम बहादुर कुमार
.....

आ दे रा
.....

3-3-12- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद और अभिलेखा की जांच करने के बाद मैं सह निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि आवेदक के आधा न्न गेहूँ चावल तथा किरासन तेल का अधिग्रहण आवश्यक वस्तु अधिनियम के धारा- 6-ए के अन्तर्गत 4-5-2010 को हुआ था। आवेदक को अनुमंडल न्यायिक दंडाधि- कारी द्वारा 23-4-2010 दोषासुप्त किया गया।

जिलाधिकारी द्वारा अधिग्रहण एक प्रक्रिया है तथा उसका न्यायिक दंडाधिकारी के आदेश से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर आवेदक को न्यायिक दंडाधिकारी को दोषासुप्त किया गया है तो वह अभियोजन पक्ष की असफलता को दर्शाता है। आवेदक के विरुद्ध कालावाजारी के मामले में सुवृत्त पाए गए है। अतः आवेदक के आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

ह०/- अस्पष्ट
समाहर्ता मधोपुरा।

ज्ञापक 22। तिथि मधोपुरादिनांक 3-3-12

प्रतिनिधि- निदेशानुसार बादी श्री राम बहादुर कुमार पे० स्व० राजेन्द्र पादम
सा० रमोली लडहा थाना सितेश्वरजिला मधोपुराको सूचनार्थ एवं
अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिनिधि- निदेशानुसार अनुमंडल पदा० मधोपुरा/ जिला अपूर्ति पदा० मधोपुरा को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याधिप्रेषित।
(मुहर)
ह०/- अस्पष्ट
प्रतिनिधि पदा०
विधि मधोपुरा